कार्यालय मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद।

नीलामी सूचना

प्राधिकरण के निष्प्रयोजय वाहनों की नीलामी जहाँ है जैसे है के आधार पर दिनांक 26.11.2021 को प्रातः 11:00 बजे प्राधिकरण कार्यालय के सभागार में की जायेगी। नीलामी में भाग लेने हेतु निधारित धनराशि का 10 प्रतिशत अथवा न्यूनतम धनराशि रू0 5,000.00 दिनांक 25.11.2021 तक प्राधिकरण के बैंक खाता सं0–019001006737 IFSC Code-ICIC0000190 ICICI BANK सिविल लाईन्स मुरादाबाद में आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से जमा करने के उपरान्त भाग ले सकेंगे। नीलामी में भाग लेने के इच्छुक बोलीदाताओं को जमा धनराशि की रसीद नीलामी के समय प्रस्तुत कर टोकन प्राप्त करना होगा।

क्र. सं.	वाहन रजि0नं0	वाहन क्रय वर्ष	वाहन मेक	निष्प्रयोज्य हेतु मानक वर्ष व चलित दूरी (लाख कि0मी0)		वाहन कितने वर्ष पूराना है	स0नि0(प्रावि0) परिवहन द्वारा न्यूनतम मूल्य विक्रय	टिप्पणी / अन्य विवरण
1	यू.पी.–21–आर–0053	2005	मरूती जिप्सी	10	1.75	17	40,000	10 वर्ष समय तथा 1.75 लाख कि0मी0 चलित दूरी निष्प्रयोजय होने के कारण मानक की पूर्णता शासनादेश सं0–3817 / 30–4–24 के एम–86 दिनांक 31.10.1996 के क्रम में
2	आर.सी. मशीन (रिफ्यूज कलेक्टर)	2001	टाटा 1613 टी.सी.	10	1.75	21	1,20,000	उपरोक्तानुसार
3	आयशर ट्रैक्टर	2007	आयशर 242 एन.सी.	10	1.75	15	30,000	उपरोक्तानुसार
4	जे.सी.बी. स्कार्ट 3डी	1998	स्कार्ट 3डी	10	1.75	24	1,80,000	उपरोक्तानुसार
5	जे.सी.बी. लोडर 710X मौडल, एम.के.–1993	1993	लोडर 710X	10	1.75	28	1,50,000	उपरोक्तानुसार पूर्व में निर्धारित दरें
6	आयशर ट्रैक्टर	2005	आयशर 242 एन.सी.	10	1.75	17	35,000	उपरोक्तानुसार

नीलामी की प्रस्तावित नियम व शर्तेः–

1. वाहन जहाँ है जैसे है के आधार पर नीलाम किया जायेगा।
2. नीलामी से पूर्व बोलीदाता वाहनों का निरीक्षण किसी भी कार्यालय दिवस में प्राधिकरण कार्यालय एवं आशियाना स्थित प्राधिकरण गैस्ट हाउस में किया जा सकता है।
3. नीलामी बोलीदाता द्वारा निर्धारित जमानत धनराशि जमा कर स्वयं अथवा उनके द्वारा नियमानुसार अधिकृत व्यक्ति द्वारा भी भाग लिया जा सकता हैं। अधिकृत व्यक्ति के पास बोलीदाता द्वारा दिया गया अथॉरिटी लेटर होना अनिवार्य है।
4. नीलामी में सफल बोलीदाता को नीलामी की 50 प्रतिशत धनराशि तत्काल उसी दिन बैंक समयावधि में प्राधिकरण कोष में जमा करनी होगी यदि बैंक समयावधि व्यतीत हो चुकी है तो अगले कार्य दिवस में अपरान्ह के पूर्व जमा करना अनिवार्य होगा। शेष धनराशि स्वीकृति पत्र के निर्गत तिथि से एक सप्ताह के अन्दर जमा करने के बाद ही सामग्री उठाई जा सकती है।
5. उच्चतम बोलीदाता को नीलामी उपरान्त समस्त निष्प्रयोज्य वाहन के रख–रखाव का दायित्व बोलीदाता का होगा।
6. सम्पूर्ण धनराशि जमा करने के पश्चात निष्प्रयोज्य वाहन को प्राधिकरण कार्यालय से 03दिन के अन्दर अनिवार्य रूप से ले जाना होगा, अन्यथा निष्प्रयोज्य वाहन में किसी प्रकार की कोई जिम्मेदारी प्राधिकरण की नहीं होगी तथा प्रतिदिन रू0 1000 की पैनल्टी देनी होगी।
7. नियमानुसार देय जी0एस0टी0 बोलीदाता को उच्चतम बोली के अतिरिक्त जमा करना होगा।
8. नीलामी को अथवा नीलामी की उच्च्तम बोली को बिना कारण बताये स्वीकृत / अस्वीकृत करने का अधिकार उपाध्यक्ष, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण में निहित होगा।
9. किसी भी प्रकार की विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र मुरादाबाद होगा।

सचिव
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण
मुरादाबाद।